भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1091

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों का मूल्यांकन

1091. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की उन कंपनियों का कोई मूल्यांकन किया है जिन्होंने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर के तहत गतिविधियों के लिए खर्च करना अनिवार्य है और यदि हां, तो योजना की शुरुआत से लेकर आज की तिथि तक क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के तहत कंपनियों द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए/किए जाने वाले विकास कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को इंगित करती है जिन्हें सीएसआर के तहत कंपनियों द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उनका निष्पादन करता है और उन पर निगरानी करता है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना होता है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और उन्हीं तरीके से किया गया है।

सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय की लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। इस प्रकार, उपर्युक्त ढांचे के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है।

(ख): अधिनियम की धारा 135 में यह अधिदेश दिया गया है कि 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल मूल्य वाली या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ कमाने वाली प्रत्येक कंपनी को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च सीएसआर के लिए करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर योजना की शुरुआत से अर्थात 2014-15 से अब तक विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। तथापि, ग्रामीण विकास परियोजनाओं को विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसे अनुलग्नक-I में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए राज्यवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक- I

दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक भारत में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)									
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
कृषि वानिकी	18.12	57.85	45.48	66.79	64.75	67.38	20.90	34.27	65.07
पशु कल्याण	17.29	66.67	78.71	63.52	98.33	106.12	193.55	168.79	315.98
सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, वीरांगनाएं/ आश्रित	4.76	11.14	37.86	29.09	90.18	62.06	84.05	47.22	62.27
कला और संस्कृति	117.37	119.17	306.13	395.22	225.94	933.57	493.13	248.34	441.02
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	44.60	49.85	119.09	228.14	173.55	160.60	92.00	273.82	580.37
शिक्षा	2589.42	4057.45	4534.16	5763.45	6111.66	7179.51	6693.25	6569.82	10085.78
पर्यावरणीय स्थिरता	773.99	796.69	1082.63	1301.96	1368.27	1470.53	1030.16	2433.24	1960.13
लैंगिक समानता	55.21	73.85	72.60	24.01	51.86	82.93	43.83	104.67	119.83
स्वास्थ्य देखभाल	1847.74	2569.43	2503.91	2776.95	3617.15	4905.72	7325.83	7816.29	6830.60
आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	280.17	393.38	518.49	832.40	907.98	1077.72	938.91	854.78	1654.39
गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	274.70	1252.08	614.65	811.20	1195.78	1159.71	1407.58	1896.95	1232.62
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1059.35	1376.16	1572.87	1724.07	2434.17	2301.02	1850.71	1833.76	2005.37
सुरक्षित पेयजल	103.95	180.16	160.12	220.87	228.23	253.40	203.13	182.68	246.36
स्वच्छता	299.54	631.80	433.98	460.68	506.66	521.72	338.97	313.26	429.91
वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.94	21.87	27.75	40.10	46.52	52.33	56.47	79.58	132.87
महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	8.74	29.28	62.22	70.58	57.01	48.50	44.52	100.92	48.53
अनाथालय की स्थापना	5.12	16.90	16.80	39.87	12.89	36.50	21.88	27.52	41.24
स्लम क्षेत्र विकास	101.14	14.10	51.49	39.16	51.06	42.94	88.95	58.38	93.84
सामाजिक-आर्थिक समानता	39.04	77.97	148.01	155.95	167.92	214.88	149.81	164.90	154.01
विशेष शिक्षा	41.43	125.84	165.33	140.01	186.13	196.88	209.24	190.52	305.67
प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	4.74	26.34	25.40	16.94	32.10	53.50	62.62	8.57	1.38
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	57.62	140.12	197.00	285.41	310.16	304.00	243.39	291.85	526.14
व्यावसायिक कौशल	277.07	344.40	379.70	546.46	798.36	1181.23	717.65	1034.18	1164.19
महिला सशक्तिकरण	72.87	122.79	163.46	251.37	236.54	259.57	206.00	261.34	396.99
केंद्रीय सरकार की अन्य निधियां	624.61	910.74	787.22	799.18	1156.86	1790.69	3491.30	1620.09	1091.86
एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	1338.40	1051.16	437.43	15.20	87.61	502.79	203.14	0.59	1.50
कुल	**10065.93**	**14517.21**	**14542.51**	**17098.57**	**20217.65**	**24965.82**	**26210.95**	**26616.30**	**29987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

दिनांक 10.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) और निजी क्षेत्र (गैर-पीएसयू) कंपनियों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)							
क्र.सं.	**राज्य**	**वित्त वर्ष 2020-21**		**वित्त वर्ष 2021-22**		**वित्तीय वर्ष 2022-23**	
		गैर-पीएसयू	**पीएसयू**	**गैर-पीएसयू**	**पीएसयू**	**गैर-पीएसयू**	**पीएसयू**
1	अंडमान और निकोबार	1.58	1.28	9.07	0.64	1.49	1.04
2	आंध्र प्रदेश	679.13	40.68	604.67	52.12	902.54	52.10
3	अरुणाचल प्रदेश	7.04	3.54	108.17	11.25	5.43	7.92
4	असम	87.06	93.18	174.51	231.66	172.20	298.05
5	बिहार	82.38	7.51	122.15	43.82	125.30	110.07
6	चंडीगढ़	13.40	--	50.59	0.29	17.47	1.16
7	छतीसगढ़	139.07	186.56	150.84	154.45	436.08	160.04
8	दादरा और नगर हवेली	20.85	1.13	13.19	0.92	13.11	0.60
9	दमन और दीव	5.25	--	3.41	0.72	8.58	0.82
10	दिल्ली	679.24	45.34	843.34	352.99	1035.35	448.56
11	गोवा	36.04	5.88	41.22	4.22	53.41	4.75
12	गुजरात	1360.48	101.12	1473.39	130.87	1886.54	121.88
13	हरियाणा	535.49	15.37	625.87	58.08	662.59	38.48
14	हिमाचल प्रदेश	64.27	42.04	79.51	60.71	82.63	55.99
15	जम्मू और कश्मीर	13.88	21.68	25.99	24.69	45.35	25.87
16	झारखंड	131.67	94.87	125.88	67.45	273.54	114.81
17	कर्नाटक	1141.47	136.34	1646.80	192.93	1821.45	164.38
18	केरल	261.68	28.99	202.30	37.43	298.90	52.70
19	लक्षद्वीप	0.01	--	0.45	--	0.02	--
20	लेह और लद्दाख	--	--	5.29	9.54	6.63	5.09
21	मध्य प्रदेश	240.76	134.75	278.88	148.80	449.43	206.98
22	महाराष्ट्र	3250.74	214.07	5057.33	323.08	5188.86	308.46
23	मणिपुर	6.29	4.10	6.64	8.97	40.52	12.93
24	मेघालय	15.63	2.00	17.95	1.68	19.95	1.78
25	मिजोरम	0.95	0.02	1.85	5.09	1.97	9.03
26	नागालैंड	3.31	0.26	8.21	4.25	7.24	6.33
27	ओडिशा	259.38	318.78	273.19	397.13	592.98	394.72
28	पुडुचेरी	12.41	0.02	8.45	0.86	10.29	2.26
29	पंजाब	155.61	2.84	177.83	7.05	234.98	12.59
30	राजस्थान	652.87	17.12	659.57	52.25	1046.54	55.83
31	सिक्किम	8.51	8.77	9.47	18.77	12.47	23.70
32	तमिलनाडु	1097.19	76.88	1357.41	74.65	1460.06	102.42
33	तेलंगाना	543.33	84.38	592.02	93.85	926.83	80.71
34	त्रिपुरा	3.48	5.81	4.96	10.95	4.82	14.44
35	उत्तर प्रदेश	782.58	124.75	1125.26	213.91	923.96	228.61
36	उत्तराखंड	109.89	50.69	143.59	84.49	185.26	115.85
37	पश्चिम बंगाल	406.53	64.95	468.91	98.29	624.15	138.14
38	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	2525.09	966.21	748.70	864.87	549.38	399.44
39	पैन इंडिया*	6388.69	1416.34	4998.69	526.47	5743.73	317.25
40	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	1.43	168.04	0.52	--	20.12	--
कुल		**21724.68**	**4486.27**	**22246.10**	**4370.20**	**25892.14**	**4095.78**

(31.03.2024 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।